Title: Urged upon the Government to set up a bench of the High court in west Uttar Pradesh.

डा. रमेश चंद तोमर (हापुड़) : सभापति महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग साढ़े चार करोड़ है लेकिन वहां पर कोई हाई-कोर्ट की बैंच नहीं है।â€¦(व्यवधान) वहां की जनता बहुत दिनों से मांग करती आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई-कोर्ट की एक बैंच स्थापित की जाये। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले की दूरी कम से कम 600 कि.मी. है और वहां लोगों को जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं।â€¦(व्यवधान) सन् 1980 में जसवंत सिंह आयोग की स्थापना की गई थी जिसके द्वारा पूरे देश में कहां-कहां हाईकोर्ट की बैंच स्थापित होनी है ,उसके बारे में जानकारी चाही थी।

30 अप्रैल, 1985 को जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी थी उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना हो। इसके लिए उन्होंने सिफारिश की थी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान लिया था। इस बात को 16 साल बीत गए है, लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोट बैच की स्थापना नहीं की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पिछले एक हफ्ते से आन्दोलित है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, में एक हाईकोर्ट बैंच की स्थापना करे।